

313

प्रेषक,

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, भा०प्र०से०
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

पटना, दिनांक 23.01.24

विषय : बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम-4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों हेतु सक्षमता परीक्षा आयोजित करने के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या-11/नियमावली 01-02/2023 (अंश-2)-135 दिनांक 15.01.2024 के आलोक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम-4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों हेतु सक्षमता परीक्षा संचालन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न है।

2. संलग्न मार्गदर्शिका पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
पटना, दिनांक 23.01.24

ज्ञापांक : 09/बि0वि0प0स0-03/2024 139

प्रतिलिपि : निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/नियोजन प्रभारी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

**बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।**

**बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम-4 के परिपेक्ष्य में
स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका (Guidelines)।**

1. पृष्ठ भूमि :- बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम-4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जाना है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरान्त आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे "विशिष्ट शिक्षक" कहलाएंगे। सक्षमता परीक्षा के उपरान्त आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से इनका जिलास्तरीय एकल संवर्ग होगा।

2. संरचना :

- (क) सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे।
- (ख) प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
- (ग) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

3. परीक्षा का विषय :

राज्य के प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाये जाने वाले सभी विषय।

4. पाठ्यक्रम :

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1/TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम।

5. प्रश्नपत्र पैटर्न :

सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एवं प्रश्नों का विवरण तथा संख्या इत्यादि निम्नवत होगा :-

अध्यापक की श्रेणी	प्रश्न की संख्या	प्रश्न का वितरण	प्रश्न की संख्या
कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों के लिए	150	भाग-1 (भाषा)	30 प्रश्न
		भाग-2 (सामान्य अध्ययन)	40 प्रश्न
		भाग-3 (सामान्य विषय)	80 प्रश्न
कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लिए	150	भाग-1 (भाषा)	30 प्रश्न
		भाग-2 (सामान्य अध्ययन)	40 प्रश्न
		भाग-3 (संबंधित विषय)	80 प्रश्न

311

**बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।**

बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम-4 के परिपेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका (Guidelines)।

1. पृष्ठ भूमि :- बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम-4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जाना है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरान्त आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे "विशिष्ट शिक्षक" कहलाएंगे। सक्षमता परीक्षा के उपरान्त आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से इनका जिलास्तरीय एकल संवर्ग होगा।

2. संरचना :

- (क) सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे।
- (ख) प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
- (ग) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

3. परीक्षा का विषय :

राज्य के प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाये जाने वाले सभी विषय।

4. पाठ्यक्रम :

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1/TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम।

5. प्रश्नपत्र पैटर्न :

सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एवं प्रश्नों का विवरण तथा संख्या इत्यादि निम्नवत होगा :-

अध्यापक की श्रेणी	प्रश्न की संख्या	प्रश्न का वितरण	प्रश्न की संख्या
कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों के लिए	150	भाग-1 (भाषा)	30 प्रश्न
		भाग-2 (सामान्य अध्ययन)	40 प्रश्न
		भाग-3 (सामान्य विषय)	80 प्रश्न
कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लिए	150	भाग-1 (भाषा)	30 प्रश्न
		भाग-2 (सामान्य अध्ययन)	40 प्रश्न
		भाग-3 (संबंधित विषय)	80 प्रश्न

310

कक्षा 9 एवं 10 के अध्यापकों के लिए	150	भाग-1 (भाषा)	30 प्रश्न
		भाग-2 (सामान्य अध्ययन)	40 प्रश्न
		भाग-3 (संबंधित विषय)	80 प्रश्न
कक्षा 11 एवं 12 के अध्यापकों के लिए	150	भाग-1 (भाषा)	30 प्रश्न
		भाग-2 (सामान्य अध्ययन)	40 प्रश्न
		भाग-3 (संबंधित विषय)	80 प्रश्न

6. अर्हता :

स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक (शारीरिक शिक्षक सहित)/पुस्तकालयाध्यक्ष।

7. परीक्षा शुल्क :

सभी कोटि के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क ₹1100/- (एक हजार एक सौ) देना होगा।

8. परीक्षा प्रक्रिया एवं अवधि :

सक्षमता परीक्षा कम्प्यूटर (Computer Based Test) के माध्यम से ऑनलाईन ली जाएगी एवं इसकी अवधि 2 घंटा 30 मिनट की होगी। कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा लेने का मुख्य उद्देश्य यह है कि विशिष्ट शिक्षक को कम्प्यूटर की मौलिक जानकारी प्राप्त हो सके।

9. उत्तीर्णांक :

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2374 दिनांक 16.07.2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा:-

सामान्य	—	40%
पिछड़ा वर्ग	—	36.5%
पिछड़ा वर्ग एनेक्श्चर-1	—	34%
अनु0जाति/अनु0जनजाति	—	32%
दिव्यांग	—	32%
महिला	—	32%

10. प्रमाण पत्र :

सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कम्प्यूटरजनित हस्ताक्षर होगा।

- (xv) वैसे शिक्षक अभ्यर्थी, जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है, उन्हें ऑनलाईन परीक्षा हेतु कम्प्यूटर पर आवश्यक Practice करने की सलाह दी जाती है। यह Practice नजदीकी विद्यालय के ICT Lab में संध्या 5 बजे के बाद अथवा नजदीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या 7.30 बजे 9.30 बजे तक की जा सकती है। शिक्षक अभ्यर्थी यदि चाहे तो अपनी सुविधानुसार निजी कम्प्यूटर संस्थान में भी Practice कर सकते हैं।
- (xvi) सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन के पूर्व कॉउसलिंग होगी, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी तथा Thumb Impression एवं Iris Recognition का मिलान किया जाएगा।
- (xvii) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) यह ध्यान रखेंगे कि सभी प्रकार के न्यायालयीय/प्राधिकार में विचाराधीन मामलों से संबंधित अभ्यर्थी का सक्षमता परीक्षा आवेदन पत्र Submit नहीं होगा।
- (xviii) परीक्षा समाप्ति के पश्चात सभी विषयों का उत्तर कुंजी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपने वेबसाइट पर Upload कर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

  

(vi)

शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गये आवेदन Submit करने के उपरान्त संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के Login में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा जांचोपरान्त इसे अन्तिम रूप से Submit किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) का Digital हस्ताक्षर अंकित होगा। सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) वास्तव में यह आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक है।

(vii) Thumb Impression एवं Iris Recognition हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा दो-दो मशीन दो महीने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराएगी, ताकि शिक्षक अभ्यर्थी का Thumb Impression एवं Iris Recognition (आँख की पुतली का सत्यापन) का मिलान किया जा सके।

(viii) Admit Card पर QR कोड एवं बार कोड अंकित होगा।

(ix) प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिए आवंटित अभ्यर्थियों के Seating Arrangement में यथासंभव यह ध्यान रखा जाएगा कि एक ही विषय का अभ्यर्थी एक साथ नहीं बैठे।

(x) परीक्षा केन्द्र पर Admit Card पर वीक्षक/केन्द्राधीक्षक का हस्ताक्षर एवं मुहर लगेगा।

(xi) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के दौरान प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी का Thumb Impression एवं Iris Recognition लिया जायेगा।

(xii) परीक्षा के बाद मूल Admit Card शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी का Thumb Impression एवं Iris Recognition का मिलान किया जाएगा एवं मूल Admit Card को Portal पर Upload कर मूल Admit Card कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।

(xiii) सक्षमता परीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी शिक्षक अभ्यर्थी का तीन बार Thumb Impression एवं Iris Recognition का मिलान किया जाएगा। एक बार परीक्षा केन्द्र पर, दूसरी बार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को Admit Card समर्पित करने के समय एवं तीसरी बार काँउंसलिंग के समय।

(xiv) परीक्षा देने के पश्चात मूल Admit Card गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दुबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा।